(1)

श्री

पुनरीक्षण प्रकरण कमांकः-- (66)

प्रस्तुती दिनांक

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर इंदौर केम्प इन्दौर समक्ष

निगरानी - 6356/2018/ खरगोन /भू.रा.

सतीश पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल मेवाडा

आयु ६२ साल, व्यवसाय-व्यापार

निवासी-बी.जी.१६५ स्कीम नंबर ७४ सी

विजय नगर,इंदौर म०प्र० -- -- प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता

वि रू द्ध

१. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिलाधीश कार्यालय,

कसरावद जिला खरगोन (म०प्र०)

२. तहसीलदार

तहसील कार्यालय,

कसरावद जिला खरगोन -- --प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भु राजस्व संहिता १९५९

मान्यवर

प्रार्थी की ओर से सदर पुनरीक्षण माननीय अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, इंदौर (श्रीमान वंदना वैघ) दारा प्रकरण क्रमांक-२६३/अपील/२०१७-१८ में पारित आदेश दिनांक २२/९/२०१८ से असंतुष्ट व्यथित एवं दुखी होकर श्रीमान के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं :--

प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता ओर से सादर निवेदन है कि :--

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

(सतीश/शासन)

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/6356/2018/खरगोन/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	**आवेदकपक्ष अधिवक्ता सुश्री महीम पी. पाण्डेय उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	